

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-12509\2013)/अलेसे-II/1587 दिनांक:- 19-12-2022

आदेश

श्री तरुण चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बाडमेर द्वारा विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृति के लिए निदेशालय में दिनांक 04.11.2022 को आवेदन किया है। श्री तरुण चौधरी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक 136/20 दिनांक 21.03.2013 की प्रति एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र क्रमांक 3125 दिनांक 02.11.2022 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार इनकी विकलांगता 40 प्रतिशत है।

अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.10(4)एफडी (ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 एवं एफ.6(6)एफडी/नियम/2010 दिनांक 30.05.2022 के क्रम में श्री तरुण चौधरी को आवेदन की दिनांक 04.11.2022 से मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम 1200/-रुपये प्रतिमाह) वाहन भत्ता एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

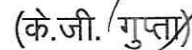


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-12509\2013)/अलेसे-III/1587 दिनांक:- 19-12-2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक उद्यान बाडमेर।
- 2- उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 3- निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
4. श्री तरुण चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बाडमेर।
- 5- वरिष्ठता सीट/पदस्थापन सीट/डीपीसी शाखा/एसीआर शाखा/जांच शाखा
- 6- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II,III)